

भाग-2
(संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम. सं.

7	परियोजना के/स्कीम का स्थान	जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड ताड़ीखेत में सौनी-देवलीखेत- डयौड़ाखाल-सिलोर महादेव मोटर मार्ग के किमी. 10 से पस्तौड़ावार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (वास्त.लम्बाई 7.85 किमी.)(2.205है०)			
	A. राज्य/संघ शासित क्षेत्र-	उत्तराखण्ड।			
	B. जिला-	अल्मोड़ा।			
	C. वन प्रभाग-	अल्मोड़ा वन प्रभाग।			
	D. वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)-	आरक्षित वनभूमि 0.495 है.	राज्य वन भूमि 0.6075 है.	वन पंचायत भूमि 1.1025 है०	कुल 2.205 है०
	E. वन की कानूनी स्थिति-				
	F. हरियाली का धनत्व-				
	G. प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ. आर.एल.-8 मीटर पर परिगणना भी संलग्न किये जाय-				
	H. भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी-				
	I. वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी-				
	J. क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाध रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जाय)-				
	K. क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ/संकटापन/विशिष्ट प्रजातिया पायी जाती हैं। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें-				
	L. क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि आपेक्षित हो या-				
8	प्रयोक्ता ऐजन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं तो जाँचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या हैं-				
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही, सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं-				
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा				
	A. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार-				
	B. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप-				

भाग-2
(संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

	C.	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची, लागत ढांचा आदि—	
	D.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय—	
	E.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्ता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)–	
11		जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (K, L) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)–	
12		प्रभाग/जिला प्रोफाइल—	
	A.	जिले का भौगोलिक क्षेत्र—	
	B.	जिले का वन क्षेत्र—	
	C.	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र—	
	D.	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक नवीनीकरण—	
		(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि—	
		(ख) वनेत्तर भूमि पर तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति—	
		(क) वन भूमि पर	
		(ख) वनेतर भूमि पर	
13		प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश—	

दिनांक —

स्थान —

हस्ताक्षर

भाग-3
(संबन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14		स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गयी है, क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें -	
15		क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं -	
16		प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें -	

दिनांक -

स्थान -

हस्ताक्षर

भाग-4

(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17

टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

दिनांक —

स्थान —

हस्ताक्षर

भाग-5

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

- 18 राज्य सरकार सिफारिश: (उपयुक्त भाग-2 या भाग-3 या भाग-4 में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाय)।

दिनांक

—

स्थान —

हस्ताक्षर